

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2011/1216

दिनांक 01.11.11

1. शासन सचिव, एवं परियोजना निदेशक, एन आर एच एम।
2. निदेशक (प.क.)/एडस्/ई.एस.आई./एम.एस.यू., चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त प्रधानाचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक सम्बद्ध चिकित्सालय समूह।
4. अति. परियोजना निदेशक, एडस् कन्ट्रोल सोसायटी, मुख्यालय।
5. औषधि नियंत्रक, प्रथम व द्वितीय, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन।
7. समस्त अधीक्षक, सम्बद्ध चिकित्सालय समूह, जयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर।
8. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
10. प्रधानाचार्य, क्षेत्रीय प. क. प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर/जयपुर।
11. अधीक्षक, कमला नेहरू क्षेत्रीय क्षय प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर।
12. मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर।
13. प्रधानाचार्य, डिप्लोमा कोर्स इन फार्मसी, जयपुर।

विषय :- राज्य सेवा अधिकारियों की दिनांक 01.04.2010 की स्थिति दर्शाते हुए सिविल लिस्ट जारी किये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि विभाग में दिनांक 01.04.2010 को कार्यरत राज्य सेवा अधिकारियों की सिविल लिस्ट जारी किये जाने हेतु कृपया आपके अधीन कार्यरत राज्य सेवा अधिकारियों (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग) से सम्बन्धित सूचना हार्ड एवं सॉफ्ट (Microsoft Excel) (सी.डी. में) प्रति में संलग्न प्रपत्र अनुसार 15 दिवस में निदेशालय के अति. निदेशक (राजपत्रित) को भिजवाने की व्यवस्था करे, ताकि सूचना संकलित की जाकर सिविल लिस्ट जारी की जा सके।

कृपया इसे उच्च प्राथमिकता प्रदान करावे।

६०  
निदेशक (जन स्वा.)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,  
राजस्थान, जयपुर

कृ. प. उ.

(2)

दिनांक 8/11/11

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2011/1216

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. आवासीय आयुक्त, बीकानेर हाउस, नई दिल्ली।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
3. महानिदेशक समादेष्टा/होम गार्ड्स, राजस्थान।
4. महानिदेशक, जेल विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. महानिदेशक, आर.ए.सी. बटालियन।
6. प्रधानाचार्य, पुलिस अकादमी, जयपुर।
7. निदेशक, समाज कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निदेशक, महिला एवं बाल विकास, विभाग।
9. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रशासनिक सुधार (अनु.-7) विभाग की अ.शा. टीप क्रमांक: प.5 (3) प्र.सु./अनु.-7/2011 दिनांक 12.07.11 के क्रम में।
10. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभाग की बेबसाईट पर अपलोड करने एवं समस्त संबंधित को मेल करने हेतु।

उपरोक्त अधिकारियों से अनुरोध है, कि आपके अधीन चिकित्सा विभाग के राज्य सेवा अधिकारियों से सम्बन्धित सूचना हार्ड एवं सॉफ्ट (Microsoft Excel) (सी.डी. में) प्रति में कृपया संलग्न प्रपत्र अनुसार 15 दिवस में अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित) को भिजवाने की व्यवस्था करावे।

निदेशक (जन स्वा.)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,  
राजस्थान, जयपुर

राज्य सेवा अधिकारियों की दिनांक 01.04.2010 की स्थिति दर्शाते हुए सिविल लिस्ट बाबत सूचना

प्रपत्र

क्र.स.	अधिकारी का पूरा नाम	गृहजिला	जन्मतिथि	राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि	वर्तमान पद पर नियुक्ति तिथि	सेवा एवं वर्ष	विभाग का नाम	वेतनमान	वर्तमान पदस्थापन स्थान	प्रशासनिक विभाग का नाम	आई.डी. संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12